# जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

## कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 147 वीं बैठक दिनांक 01.04.2010 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 3, 4 व अति. एजेण्डा 1 व 2 वननि (बीपीसी) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 1, 2 व 5 वननि (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

---

**बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।**

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री पी. अरविंद, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

**बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–**

1. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री सुभाष चन्द शर्मा, उप नगर नियोजक (एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
6. श्री प्रेम शंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
7. श्री शेरा राम, उप नगर नियोजक जोन–4, जविप्रा जयपुर।

---

**एजेण्डा विवरणः–**
**एजेण्डा संख्याः–1**
**147 / 01.04.2010**

विषयः–बीपीसी बीपीसी (ले आउट प्लान) 146 वीं बैठक दिनांक के 04.03.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि के सबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2
147 / 01.04.2010 (जोन–2)

विषयः– संयुक्त गृ.नि.स.समिति की योजना जगदम्बा कोलोनी स्कीम नं. 6 के भूखण्ड संख्या 103 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर पट्टा दिये जाने के सबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समिति के समक्ष उपस्थित प्रार्थी को सुना गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत आयुक्त महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में जोन उपायुक्त को स्वयं के द्वारा मौके निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्याः–3
147 / 01.04.2010 (जोन–4)

विषयः– पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना केशव विहार विस्तार के भूखण्ड संख्या 26 व 28 के ऊपर से अनुमोदित सडक को विलोपित करने के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में भूखण्ड स्वामी भी उपस्थित हुए। समिति द्वारा भूखण्ड के स्वामी को सुना गया। मौके पर एक भूखण्ड खाली है इसलिए समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 26 व 28 को सडक क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जावे।

एजेण्डा संख्या–4
147 / 01.04.2010 (जोन–5)

विषयः– सहकारी मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना भगवती नगर प्रथम में स्थित लैण्डमार्क एरिया की भूमि के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन ने समिति को अवगत कराया कि यह भूमि 90ए के तहत प्राधिकरण के खाते में आई है व बागचाही किस्म की भूमि है। भगवती नगर योजना में दो ऑनर लैण्ड हैं जिसमें एक ऑनर लैण्ड को बीपीसी(एलपी) द्वारा स्वीकृत कर भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया हुआ है किन्तु उसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि पूर्व के हिस्से की स्वीकृति राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इसलिए समिति ने विचार विमर्श कर इस हिस्से को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–5
147 / 01.04.2010 (जोन–7)

विषयः–जय आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गंगा कोलोनी खातीपुरा के भूखण्ड संख्या 9, 10 व 13 को अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समिति के समक्ष उपस्थित प्रार्थीया को सुना गया। जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा को विचार विमर्श किए जाने के पश्चात प्रकरण को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

**आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अति. एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।**

**<u>अति. एजेण्डा आइटम सं:–1</u>**
**147/01.04.2010 (जोन–5)**

विषयः– अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राम नगर, स्वेज फार्म के अनुमोदन के संबंध में।

तत्कालीन आयुक्त महोदय ने इस योजना की Post facto स्वीकृति दिनांक 02.04.2004 को दी थी। तत्समय उपायुक्त द्वारा प्रकरण को बीपीसी (एलपी) में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि Post facto स्वीकृति 6 वर्ष पुरानी है। इसलिए 40'–0'' सेक्टर रोड को परिवर्तन न करने के संबंध में निर्णय लिया गया।

**<u>अति. एजेण्डा आइटम सं:–2</u>**
**147/01.04.2010 (जोन–4)**

विषयः– कृष्णापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नम्बर–2, ग्राम बिन्दायका तहसील सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तो के अनुसार योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. जगतपुरा जाने वाली रोड की चौडाई मास्टर प्लान के अनुसार 200'–0'' की जावे इस हेतु इस सडक पर प्रस्तावित भूखण्डधारियों की भूमि में से सडक के केन्द्र बिन्दु से 100'–0'' की दूरी में आने वाली भूमि ली जावे।
2. भूखण्ड संख्या 22 व 145 की समान भूमि लेते हुए 30'–0'' सडक रखी जावे।
3. भूखण्ड संख्या 13 के भाग में जितनी सडक उपलब्ध हो रही है उतनी ही सडक स्वीकृत की जावे। क्योंकि इस योजना के पास मॉडल टाउन योजना पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है।
4. पूर्व में इस योजना को दिनांक 16.06.1985 में स्वीकृत किया जा चुका है, उसमें भूखण्ड संख्या 12 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया है मौके पर यह भूखण्ड रिक्त है इसलिए इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
5. मौके पर प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 13 पर अधिक भूमि पर कब्जा किया हुआ है इसलिए भूखण्ड संख्या 13 की साईज पूर्व में स्वीकृत येाजना मानचित्र के अनुसार ही रखी जावे।

6. भूखण्ड संख्या 11 न्यायालय में विवादित है इसलिए विवाद का निर्णय होने के पश्चात् इस भूखण्ड के संबंध में निर्णय लिया जावे।

7. जिन भूखण्डों में स्कूल व दुकानों का निर्माण है उन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / प्रोजेक्ट / 2010 / डी– 114 दिनांक :– 8/4/10

**प्रतिलिपि :–**

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।